

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/अवकाश/ 2184 /2022

दिनांक : 12.07.2022

श्री राजेश चन्द्र गुप्ता (RJ0268) न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, अलवर को दिनांक 30.05.2022 से 04.06.2022 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-01, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
12.07.2022
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/90/1996/ 4962

दिनांक : 12.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, अलवर को उनके पत्रांक 248 दिनांक 02.07.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री राजेश चन्द्र गुप्ता (RJ0268) न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, अलवर।
4. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-01, अलवर।

12.7.2022
सहायक रजिस्ट्रार